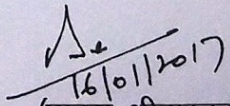


13. जिलाधिकारी इलाहाबाद से सिनेमा हॉल का संचालन की अनुज्ञा प्राप्त होने पर छवि-गृह का संचालन प्रारम्भ होने के पश्चात् ही व्यवसायिक अधिभोग/उपयोग प्रारम्भ किया जाय।
14. समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः अपने हर्जे-खर्चे से मानक के अनुसार पूर्ण करना होगा।
15. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा, फायर एवं फायर की अनापत्ति भी प्राप्त करनी होगी।
16. मानचित्र स्वीकृति विषयक दिये गये शपथ पत्र क्रमशः (59AC 345213 दि० 21.05.2015, 59AC 549010, दिनांक 30.06.2015 एवं 07AD 786826 दिनांक 27.9.2016) का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
17. प्रस्तुत मानचित्र व्यवसायिक काम्पलेक्स एवं पंचम तल पर 234 एवं 225 कुल 459 सीट के दो छवि-गृह के निर्माण की अनुमति हेतु है। अतएव स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण/उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
18. मौके पर मौजूद पुराने निर्माण को स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख-रेख में हटाना होगा। तत्समय यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि न होने पाये।
19. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
20. यदि आवेदकगण द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
21. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
22. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
23. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
24. आवेदकगण को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
25. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।


16/01/2017
(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी